नागालैंड राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1964

(1964 का नागालैंड अधिनियम संख्यांक 1)

नागालैंड विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं को हटाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि नागालैंड विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक निरर्हित न होंगे ।

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागालैंड राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1964 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण नागालैंड पर है ।

(3) यह 11 फरवरी, 1964 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना----इस तथ्य के आधार पर कि कोई व्यक्ति इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, नागालैंड विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्ह न होगा या कभी भी निरर्ह हुआ न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. संघ या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धारित कोई पद ।

2. भारत सरकार या नागालैंड सरकार के संसदीय सचिव का पद ।

3. संसद् या नागालैंड विधान सभा में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ।

4. किसी विद्यमान विधि या विनियम के अधीन नागालैंड में गठित किसी प्रादेशिक जनजाति क्षेत्र, रेंज या ग्राम परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

5. सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक का पद ।

6. सरकारी शैक्षणिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद ।

7. सरकार को अंशकालिक सेवा प्रदान करने वाला चिकित्सा व्यवसायी ।

8. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या सदस्यों का पद ।

9. गांवबुरा, चौकीदार चाहे वह इस नाम से पुकारा जाता है या किसी अन्य नाम से ।

10. सरकार के अधीन वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक वाला ऐसा कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है ।

11. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद ।

12. सहायक वायु बल या वायु रक्षा रिजर्व में धारित कोई पद ।